तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण सं. 10/2025, जी.सी.एम.एस नं. 2025/113 श्री नरेश तलदार बनाम प्राधि.अधि. आयुक्त नगर परिषद व अन्य अन्तर्गत धारा 90क (9) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.03.2026	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट स्वयं, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट्स **5,6** के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट सं. **5,6** की ओर से दिनांक 22.01.2026 को प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास की अधिसूचना क्रमांक प 3 (50) नविवि/ 3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रेल 2017 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (9) के अन्तर्गत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। अपील माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने से निरस्ती योग्य है। दिनांक 17.03.2026 को प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अपीलांट व उपस्थित रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागणो को सुना गया। रेस्पोडेंट **5,6** के अधिवक्ता ने कथन किया कि सयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रेल 2017 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (9) के अन्तर्गत अपील के निस्तारण हेतु संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे। अपीलांट ने कथन किया कि उक्त परिपत्र अनुसार यह अपील सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को है, जिससे वह सहमत है किन्तु आपत्तिकर्ता रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का यह कथन कि अपील अपीलार्थी निरस्त की जावे जिस पर अपीलांट ने असहमति व्यक्त की। हमने प्रारंभिक आपत्ति पर उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रेल 2017 अनुसार अपील को सुनवाई का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही होने से प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट सं. 5,6 आंशिक स्वीकार करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु यह अपील अपीलांट को लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो।	

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:20:09 IST
Reason: SelfAttested